IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में किसानों का ब्रिटिश विरोधी बकाश्त संघर्ष : एक अध्ययन

डॉ० विजय कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

बी0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

शोध सार : जब बिहार के किसानों को यह समझ में आया कि अंग्रेजों का आगमन और उनके कार्यों का मुख्य उद्देश्य केवल किसानों का शोषण कर लाभ कमाना है, तो उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई तक, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ताकि वे अपनी खोई हुई कृषि व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर सकें और शांति से जीवन यापन कर सकें। बिहार के किसानों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया यह संघर्ष कभी अकेले तो कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ मिलकर चलता रहा, जिससे उनके लक्ष्यों को राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित किया गया। इसके बावजूद, किसानों की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से नहीं हो सका। इस शोध अध्ययन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बिहार में किसानों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या दिशा–निर्देश रहा।

कूट शब्द : किसान, कृषि व्यवस्था, स्वतंत्रता, बिटिश साम्राज्य, बकाश्त संघर्ष।

प्रस्तावना : अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति वर्ष 1920 में पटना में महात्मा गांधी के साथ संवाद के दौरान दर्ज कराई। इससे पहले, वे समाचार पत्रों के माध्यम से रौलट कानून से संबंधित आंदोलन, पंजाब में लागू मार्शल लॉ की घटनाओं का विस्तृत विवरण और कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उन्हें हिन्दी समाचार पत्र 'प्रताप' के जरिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निधन की सूचना भी मिली थी। इस प्रकार, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने समय के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहरी नज़र रखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। किसानों की भागीदारी और अंग्रेजों की भारतीय कृषि नीति के प्रभाव के कारण किसानों के शोषण ने स्वामी जी को एक संगठन की आवश्यकता का अनुभव कराया। 4 मार्च, 1928 को स्वामी जी ने 'पश्चिमी पटना किसान सभा' की स्थापना की, जबकि यह सभा दिसम्बर, 1927 से औपचारिक रूप से कार्यरत थी। स्वामी जी के अनुसार, किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों और जमींदारों के बीच सहयोग और समझौता स्थापित कर आपसी हितों का सामंजस्य बनाना था। पश्चिमी पटना किसान सभा का नाम इस क्षेत्र के लिए रखा गया, क्योंकि स्वामी जी कुछ वर्षों से पटना के पश्चिम में बिहटा आश्रम में निवास कर रहे थे, जहाँ उन्होंने किसानों पर जमींदारों के अत्याचार को निकट से देखा था।

इस प्रकार बिहार में संभावित किसानों के संघर्षों का नेतृत्व करने वाली किसान सभा की स्थापना की गई। पश्चिमी पटना किसान सभा का विस्तार स्वामी जी के मार्गदर्शन में हुआ, जो धीरे–धीरे पूरे बिहार में फैलने लगा। 1928 में सरकार द्वारा किसानों के लिए एक विवादास्पद विधेयक लाने की योजना बनाई जा रही थी,

जिसका उद्देश्य काश्तकारी कानून में सुधार करके किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालना था। किसान सभा के नेताओं ने इस विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया, जिसके लिए यमुना कार्यी, राम दयालु सिंह और स्वामी जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन की योजना बनाई।

फलस्वरूप, 17 नवम्बर, 1929 को सोनपुर मेले में 'बिहार प्रांतीय किसान सभा' की स्थापना की गई। बाबू श्रीकृष्ण सिंह को महासचिव, जबकि पं0 यमुना कार्यी, श्री गुरुसहाय लाल और श्री कैलाश बिहारी लाल को विभागीय सचिव के रूप में चुना गया। स्वामी जी को अध्यक्षता का पद सौंपा गया। यह बिहार प्रांतीय किसान सभा की पहली सफलता थी, जिसने संभावित काश्तकारी कानून संशोधन के बिल को सरकार द्वारा वापस लेने के लिए बाध्य किया, जिसका विरोध स्वराज पार्टी ने भी किया था।

बकाश्त संघर्ष की आवश्यकता :

अंग्रेजी शासकों ने भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो दबा दिया, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन को स्थायी रूप से कमजोर करने की दिशा में कार्यरत थे। इसके परिणामस्वरूप, ब्रिटिश संसद ने संवैधानिक सुधारों का एक ढांचा तैयार करते हुए अगस्त 1935 में 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' 1935 को पारित किया। उस समय ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थेः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध। इन प्रांतों और रियासतों को मिलाकर भारत को एक गणतंत्र का दर्जा प्रदान किया गया। राजा–महाराजाओं को उनके रियासतों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादियों पर नियंत्रण स्थापित करना और उनके राष्ट्र विरोधी प्रयासों को विफल करना था। इस व्यवस्था के तहत मतदान का अधिकार वयस्क जनसंख्या के एक–छठे हिस्से तक सीमित था। अब प्रांतों का संचालन निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाने लगा। प्रांतों का प्रशासन निर्वाचित मंत्रियों के अधीन था, किंतु उनके ऊपर गवर्नरों की नियुक्ति का प्रावधान भी था। कुल मिलाकर, 1935 का अधिनियम भारतीयों के लिए एक धुंधली छवि के समान प्रतीत होता था।

भारतीय राजनीतिक दलों ने 1935 के अधिनियम का खुलकर विरोध किया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन को संसद में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों ने सत्ता में भागीदारी का विरोध किया। नेहरू का मानना था कि सत्ता में भाग लेना अधिनियम 1935 को स्वीकार करने के समान होगा। वहीं, इसके समर्थकों ने अपने आप को संविधानवादी कहलाना अनुचित समझा।

स्वामी जी की इस किसान सभा ने अपने लाल झंडे के प्रतीक के तहत बिहार के विभिन्न जिलों के मौजों में कई बकाश्त संघर्षों की लड़ाइयाँ लड़ीं। इनमें प्रमुख थेः बड़हिया टाल संघर्ष (बड़हिया, मोकामा, शेखपुरा और लखीसराय का हिस्सा), सोनबरसा संघर्ष (भागलपुर), अमवारी संघर्ष (पूर्व में सारण, वर्तमान में सिवान जिला), कोपा खुर्द या छोटा कोपा संघर्ष, बिहटा संघर्ष (पटना), रेवड़ा संघर्ष (पूर्व में गया, वर्तमान में नवादा जिला), सांढा मौजा, और मझियाँवा संघर्ष (गया)। इन संघर्षों में रैय्यतों ने जमींदारों या अंग्रेजी शासकों से अपनी बकाश्त भूमि प्राप्त करने के लिए साहसिक लड़ाइयाँ लड़ीं, जिनका नेतृत्व कभी स्थानीय किसानों ने किया और कभी किसान सभा के नेताओं ने। बकाश्त संघर्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

बड़हिया टाल संघर्ष

बड़हिया टाल का क्षेत्र बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जहाँ किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष का नेतृत्व प्रसिद्ध किसान नेता कार्यानंद शर्मा कर रहे थे। कार्यानंद शर्मा का किसानों से पहला परिचय मुंगेर जिले के चानन परगना में हुआ, जब गिद्धारै और खैरा राज्य के अमानवीय शोषणों के खिलाफ वहाँ के किसानों ने संघर्ष शुरू किया। किसानों ने अपने संघर्षों के माध्यम से कार्यानंद शर्मा को आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप शर्मा जी का चानन परगना में आगमन हुआ। शर्मा जी ने कई सभाएँ आयोजित कीं, जिनमें

हजारों किसानों ने भाग लिया। कांग्रेस के नेता डॉ. श्री कृष्ण सिंह ने भी शर्मा जी के साथ इन सभाओं में अपने विचार प्रस्तुत किए। अंततः कई महीनों के संघर्ष के बाद किसान नेताओं और जमींदारों के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 1935 में जमींदारों के अत्याचार समाप्त हो गए।

चानन संघर्ष ने मुंगेर के किसानों पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने बड़हिया टाल संघर्ष को जन्म दिया। यह संघर्ष जून 1936 में प्रारंभ होकर 1939 के मध्य तक जारी रहा। बड़हिया टाल क्षेत्र में लाखों बीघा भूमि थी, जो मानसून के दौरान गंगा के जल से पदनदकंजमक हो जाती थी। इस क्षेत्र की मिट्टी कठोर और काली थी, जिसमें रबी फसल की खेती प्रमुखता से होती थी। बड़हिया, शेखपुरा और मोकामा का कुछ हिस्सा भी बड़हिया टाल क्षेत्र में शामिल था। यहाँ कृषि करना अत्यंत सरल था, जिसके कारण एक जमींदार हजारों बीघा भूमि पर आसानी से खेती कर सकता था। इस क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियाँ थीं, जिनकी भूमि पर जमींदारों ने अपने दबदबे से कब्जा कर रखा था, जबकि किसान पिछले 12 वर्षों से बटाई पर खेती कर रहे थे।

कृषि कानून के तहत इन भूमि पर किसानों का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन किसानों की इस कानून के प्रति जानकारी की कमी के कारण उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। जमींदारों ने भी इस तथ्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं रखा कि किसान उस भूमि को जोतता है। जब किसान सभाओं ने काश्तकारी कानून के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, तब किसानों ने अपनी भूमि पर अधिकार का दावा किया। हालांकि, जमींदारों ने उनके दावों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। चूंकि किसानों के पास यह साबित करने के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं था कि वे वर्तमान में उस भूमि को जोत रहे हैं, इसलिए वे न्याय के लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। इसी कारण किसानों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और कार्यानंद शर्मा जी को अपना नेता चुना।

सोनबरसा संघर्ष

सोनबरसा गाँव भागलपुर जिले में स्थित है, जहाँ की जमींदारी एक अंग्रेज जमींदार, श्री ग्रांट, के नाम पर है। श्री ग्रांट एक प्रभावशाली जमींदार थे, जिनका संबंध ब्रिटिश सरकार और उसके संसद तक था। इसी कारण, उनकी जमींदारी में कार्यरत सभी छोटे–बड़े हकीम उनसे भयभीत रहते थे। उनके प्रबंधक ने अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाँव के प्रमुख व्यक्तियों को अपने अधीन कर लिया था, जिनका कार्य किसानों का हर प्रकार से शोषण करना था। श्री ग्रांट न केवल एक अंग्रेज थे, बल्कि एक जमींदार भी, जिससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ।

सोनबरसा के किसानों की हजारों बीघे भूमि बकाश्त भूमि थी, जो गंगा के किनारे स्थित थी। हालांकि, उस भूमि पर मि. ग्राण्ट साहब ने कब्जा कर रखा था। किसान उस भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जब उस भूमि पर सरसों की फसल उगाई गई थी और वह लगभग पकने को थी, तब भी वे साहब के मैनेजर की अनुमति के बिना उसे काटने में असमर्थ थे। इस स्थिति में, एक दिन सभी किसान एकत्रित हुए और चर्चा करने लगे कि उस भूमि पर कब्जा कैसे किया जाए। तभी रामरूप कुमर, एक अनपढ़ किसान, ने कहा कि हम हजारों हैं और साहब अकेले हैं। उनके नौकर–चाकर और कुछ पुलिस को मिलाकर भी उनकी संख्या अधिकतम दो–तीन सौ होगी, जबकि हम उनसे कई गुना अधिक हैं। इस परिस्थिति में, हमें जान की परवाह किए बिना सरसों काटने का साहस करना चाहिए।

सरसों की कटाई के दिन गोरखे सुबह से ही खेत में उपस्थित थे। इस घटना की जानकारी सोनबरसा गाँव में तेजी से फैल गई, लेकिन रामरूप कुमार को कोई चिंता नहीं थी। रामरूप ने किसानों से कहा कि वे तीन–तीन की संख्या में एकत्रित हों। इसके बाद पूरे गाँव से सैकड़ों बाँस, कीरोसिन तेल और पुराने कपड़े इकट्ठा किए गए। इन कपड़ों को बाँस के पतले सिरे पर अच्छी तरह लपेटा गया ताकि वे लंबे समय तक जलते रहें, और फिर उन्हें कीरोसिन से भिगो दिया गया। रामरूप ने लगभग हजार किसानों को एकत्रित किया और सभी को सरसों काटने के लिए हँसिया लेकर खेत की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। सभी ने बाँसों में आग लगा

दी और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारों के साथ, दस–दस या बीस–बीस किसानों ने एक–एक बाँस उठाया और जलते हुए सिरे को आगे रखकर सभी ने यात्रा शुरू की।

किसानों ने शीघ्रता से सरसों की फसल काटी और उसे तुरंत गाँव पहुँचा दिया। अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, उन्होंने आपस में सरसों का वितरण किया। दूसरी ओर, श्रीमान ग्रांट किसानों को फँसाने की रणनीति बनाने में लगे रहे, लेकिन वे असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, किसानों ने उनसे डरना भी छोड़ दिया। इस प्रकार, रामरूप कुमर के नेतृत्व में किसानों ने अपनी बकाया भूमि पर अधिकार कर लिया और सम्पूर्ण भूमि को तीन सौ पचास हलों में समान रूप से बाँट दिया गया। जब भी मुकदमा लड़ने या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तो हलों के अनुसार धन और युवा एकत्रित कर लिए जाते और अंततः विजय प्राप्त कर ली जाती।

अमवारी संघर्ष

अमवारी गाँव उस समय के सारण जिले (जो वर्तमान में सिवान जिले के अंतर्गत आता है) में स्थित था, जहाँ 1939 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन जी के नेतृत्व में बकाश्त संघर्ष का आयोजन किया गया। राहुल सांकृ त्यायन ने किसान सभा के प्रचार–प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप वे एक प्रमुख किसान नेता के रूप में स्थापित हो गए। दिसम्बर 1938 में वैनी में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में राहुल सांकृत्यायन जी ने सभी जिलों के किसानों के लिए सत्याग्रह आयोजित करने का आह्वान किया। इसके अलावा, उन्होंने बड़हिया टाल संघर्ष में कार्यानन्द शर्मा के साथ कई किसान सभाओं में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी संदर्भ में, राहुल जी ने अमवारी के किसानों की स्थिति का विश्लेषण किया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने महराजगंज, एकमा, माँझी, अनर्सन, बरेजा जैसे स्थानों का दौरा किया और वहां के किसानों की स्थिति का अवलोकन किया।

अमवारी संघर्ष के संदर्भ में, जयप्रकाश नारायण, राजेन्द्र प्रसाद और महामाया प्रसाद सिंह, जो उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया। उन्होंने किसानों और जमींदारों के बीच एक पंचायत का आयोजन किया। हालांकि, जमींदारों ने पंचायत में उठाए गए सभी मुद्दों को स्वीकार नहीं किया, फिर भी स्वामी जी के अनुरोध पर अमवारी सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। इस प्रकार, अमवारी का किसान संघर्ष राहुल जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह संघर्ष न केवल किसानों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

कोपा खुर्द या छोटा कोपा संघर्ष

पटना जिले के नौबतपुर थाने के अंतर्गत कोपा खुर्द, जिसे छोटा कोपा भी कहा जाता है, एक ऐसा गांव था जहाँ मुख्य रूप से ग्वाले किसान निवास करते थे। बस्ती से थोड़ी दूरी पर उनकी लगभग पच्चीस से तीस बीघे की कृषि भूमि थी, जिस पर जमींदारों का कब्जा था। जमींदारों द्वारा किसानों पर लगातार किए जा रहे अत्याचारों के कारण ग्वाले किसान इतनी अधिक परेशान हो गए थे कि उन्होंने बस्ती छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। जब किसान सभा के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा था और विभिन्न स्थानों पर बकाश्त संघर्ष चल रहे थे, तब उनमें आशा की किरण जागी कि उन्हें अब जमीन मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, कुछ लोगों की सलाह पर वे जमीन पर दखल देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी गलती यह थी कि सलाह देने वाले ने उन्हें किसान सभा से संपर्क करने की सलाह नहीं दी। ग्वाले किसानों ने अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई कि वे उस बकाश्त जमीन पर रातों–रात एक बस्ती स्थापित कर देंगे, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वह बस्ती वर्षों पुरानी है, जिससे वे यह साबित कर सकें कि वे पुराने निवासी हैं और इसलिए जमीन उनके अधिकार में है।

इसके लिए उन्होंने हजारों लोगों को एकत्रित किया और रातों–रात उस भूमि पर एक बस्ती स्थापित कर दी। यह बस्ती ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह बहुत पुरानी हो। नए कुएं, छप्पर और पेड़–पौधे जैसे कद्दू, कोहड़ा और नेनुआ को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि ऐसा लगे कि वे वर्षों से वहीं मौजूद हैं। बैलों के लिए वही पुरानी नादें रखकर उनमें चारा डाल दिया गया था, जैसे कि वे सालों से वहीं रखी गई हों। बैल भी उन पर बंधे–बंधे खाने लगे। यह सभी कार्य सुबह होने से पहले बहुत तेजी से संपन्न कर दिए गए थे ताकि किसी को इसकी भनक न लगे।

बिहटा संघर्ष

पटना जिले के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बिहटा का क्षेत्र जमींदारों के अत्याचार का शिकार था। यहाँ स्वामी जी ने श्री सीतारामाश्रम नामक एक आश्रम की स्थापना की, जो श्री सीताराम दास नामक व्यक्ति की भूमि पर स्थित था। इसी आश्रम में उनका निवास था, जहाँ वे ब्रह्मचर्याश्रम के विकास में संलग्न थे। इस क्षेत्र में जमींदारों के शोषण की स्थिति इतनी गंभीर थी कि जिन किसानों के घर के बाहर जमींदार के कर्मचारियों द्वारा एक मोटा डंडा रख दिया जाता था, उन्हें अगले दिन अपना सारा काम छोड़कर जमींदार के पास बेगारी के लिए जाना पड़ता था। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसानों की फसल तैयार हो जाती है और उस पर जमींदार द्वारा गोबर डाल दिया जाता है, तो किसानों को जमींदार की अनुमति के बिना उसे छूने की भी अनुमति नहीं होती थी। इस क्षेत्र में 1932 के बाद श्री राम कृष्ण डालमिया जैसे उद्योगपतियों ने चीनी मिलों की स्थापना की, जहाँ गन्ने की खेती से जुड़े किसानों का आर्थिक शोषण मिल मालिकों द्वारा किया जा रहा था। प्रारंभ में, इन मिल मालिकों ने मिल स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता महसूस की और स्वामी जी से सहायता मांगी। स्वामी जी ने तभी सहमति दी जब उन्होंने आश्वासन दिया कि वे किसानों को उचित मूल्य पर गन्ना खरीदेंगे और श्रमिकों को उचित वेतन देंगे।

जब मिल तैयार हो गई, तो मिल मालिकों ने किसानों से तीन आने प्रति मन की दर से गन्ना खरीदने का प्रस्ताव रखा, जबकि बाजार में गन्ने की कीमत छह आने थी। मिल मालिकों का तर्क था कि किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें इस दर पर गन्ना बेचना ही पड़ेगा। इस पर स्वामी जी ने आपत्ति जताई और किसानों को इस दर पर गन्ना न देने की सलाह दी। दूसरी ओर, मिल मालिकों ने किसानों को गुड़ बनाने से रोकने की सलाह दी, ताकि वे मजबूर होकर गन्ना मनमाने दामों पर बेच सकें। बिहटा संघर्ष के दौरान, 1936, 1938 और 1938–39 में किसानों और मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ हड़तालें कीं। 1936 की पहली हड़ताल किसानों द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने महीनों तक गन्ना मिलों को नहीं दिया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन सफल नहीं हो सका।

रेवड़ा संघर्ष

रेवड़ा ग्राम गया जिले के नवादा उपखंड के वारिसलीगंज थाने के अंतर्गत काशीचक स्टेशन से लगभग तीन मील उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित है। वर्तमान में यह ग्राम नवादा जिले का हिस्सा है। यह क्षेत्र श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह नामक एक जमींदार के अधीन था, जहाँ लगभग पंद्रह सौ बीघा भूमि किसानों की बकाश्त भूमि थी। रेवड़ा एक अत्यंत पिछड़ा गांव था, जहाँ किसान सभा के कोई भी कार्यकर्ता नहीं थे और यहाँ के किसानों पर जमींदारों द्वारा हर प्रकार का अत्याचार किया जाता था। प्रत्येक किसान की फसल का एक हिस्सा जमींदार के लिए निर्धारित था। यदि किसी के घर की छत पर दो कद्दू या दो कोहड़े उगते, तो उनमें से एक जमींदार का होता था। गाय और भैंस से मिलने वाला आधा दूध भी जमींदार का होता था। किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे किसी किसान सेवक को एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकते थे।

स्वामी जी ने इस अवधि में रेवड़ा में कई सभाएं आयोजित कीं, जिनमें बीस से पच्चीस हजार किसान भाग लेते थे। इन सभाओं में स्वामी जी ने किसानों के अधिकारों के लिए मजबूरन संघर्ष करने का समर्थन

किया। इस प्रकार, चारों ओर के किसान रेवड़ा की ओर बढ़ने लगे और उस समय रेवड़ा किसानों के लिए एक 'तीर्थस्थल' के रूप में स्थापित हो गया। रेवड़ा पंचायत ने भी शर्मा जी को पूर्ण समर्थन प्रदान किया।

अंततः रेवड़ा के किसानों की विजय हुई। जमींदार की ओर से जिले के मजिस्ट्रेट ह्विटेकर साहब ने शर्मा जी के साथ सुलह की, जिसके तहत पंद्रह सौ बीघे जमीन में से लगभग डेढ़ सौ बीघा जमींदार के नाम कर दिया गया और शेष तेरह सौ पचास बीघा जमीन किसानों को आवंटित की गई। यह भूमि किसानों के बीच समान रूप से वितरित की गई। कांग्रेस की बकाश्त जांच समिति ने डेढ़ सौ बीघे पर जमींदार के कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए शर्मा जी को इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार, रेवड़ा के किसानों ने अपने अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष किया और अंततः अपनी बकाश्त जमीन प्राप्त करने में सफल रहे।

साँढ़ा मौजा संघर्ष

साँढ़ा मौजा गया जिले के अंतर्गत स्थित था, जहाँ के जमींदार अमावाँ–टेकारी के राजा श्री हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे। इस मौजे के निवासी ब्रह्मचारी रंगनाथ जी एक योग्य और निडर किसान सभा के कार्यकर्ता थे। यहाँ हजारों बीघा भूमि किसानों की बकाश्त भूमि थी। यद्यपि किसान इस भूमि पर खेती कर रहे थे, उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान किया जाता था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपनी पैदावार का केवल एक चौथाई हिस्सा देकर तीन चौथाई जमींदार को देना पड़ता था। कभी–कभी जमींदार प्रति बीघा दो से चार रुपये केवल खेत देने के लिए वसूल करता और फिर पैदावार में से आधा या दो तिहाई हिस्सा ले लेता। कभी–कभी तो खेत का लगान इतना अधिक निर्धारित कर दिया जाता कि उसे चुकाना किसान के लिए असंभव हो जाता।

हद तब हो गई जब आषाढ़ के महीने में जमींदार के कर्मचारियों ने खेत की जुताई करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। चूंकि किसान सभा के माध्यम से किसान अब काफी जागरूक हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने हल और बैल देने से मना कर दिया। इस स्थिति में हल बैल गाड़ियों पर लादकर लाए गए। अगले दिन, जमींदार के कर्मचारी पुलिस बल के साथ खेत की जुताई करने पहुंचे, यह सोचकर कि अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि गाँव के पुरुषों पर धारा 144 लागू थी या वे जेल में थे। तभी गाँव की महिलाओं का एक समूह, जिसमें वृद्ध और युवा सभी शामिल थे, तेजी से खेत पर पहुंचा और पुलिस के घेरे को तोड़कर हलों के सामने लेट गई। यह दृश्य शायद जमींदार के कर्मचारियों और पुलिस वालों ने भी नहीं सोचा होगा। कुछ पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल महिलाओं को इसकी जानकारी मिल गई और वे उनके बहकावे में नहीं आईं। स्वामी जी ने इस संघर्ष में महिलाओं की ताकत को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि मातृ शक्ति के बिना किसानों की विजय संभव नहीं है। इस प्रकार, साँढ़ा मौजा के किसानों, विशेषकर महिला किसानों ने अपने बकाश्त भूमि को प्राप्त करने के लिए घर की सीमाओं को पार करते हुए खेतों में कदम रखा और सफलता प्राप्त की।

मझियाँवा संघर्ष

गया जिले के कुर्था थाने के अंतर्गत मझियाँवा वह बस्ती है, जहाँ यदुनंदन शर्मा का जन्म हुआ। यहाँ के जमींदार, अमावाँ–टेकारी के राजा बहादुर, ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से किसानों पर अत्याचार किया। 1939 के मध्य में, यहाँ के किसानों ने बकाश्त संघर्ष का आयोजन किया। मझियाँवा गांव में अधिकांश ब्राह्मण किसान थे, लेकिन इस संघर्ष में आस–पास के गांवों की कुर्मी, कोइरी और यादव महिलाओं ने भी उनका समर्थन किया। पुलिस ने जमींदार के आदेश पर किसानों को खेतों में काम करने से रोकने के लिए उनके खेत के निकट अपना कैम्प स्थापित किया था। मझियाँवा की ब्राह्मण महिलाएँ, जो पहले कभी हल नहीं चलाती थीं, इस संघर्ष में मुख्य रूप से हल लेकर खेतों में पहुँचीं, और उन्हें अन्य जातियों की महिलाओं का भी सहयोग मिला।

इस प्रकार, महिलाओं ने जुताई और रोपाई का कार्य किया, लेकिन जमींदार के कर्मचारी आए और सब कुछ उखाड़ फेंका। जब महिलाओं को इस बात की जानकारी मिली, तो वे खेत में जाकर डट गईं और उन लोगों से भिड़ गईं। महिलाओं ने उन्हें दौड़ाया और एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई।

हालांकि, आगे चलकर जमींदार ने फसल को नष्ट करने के लिए एक और उपाय निकाला। उसने कुछ गरीब महिलाओं को पैसे का लालच देकर रोपे गए धान को उखाड़ने का कार्य सौंपा। लेकिन उसकी यह योजना भी विफल रही, क्योंकि किसान महिलाओं ने उन्हें झाड़ू से मारकर भगा दिया। इस प्रकार, माझियाँवा की ब्राह्मण महिलाओं ने ऊँची जाति की झूठी मर्यादा को तोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, खेतों की जुताई और रोपाई की, और आवश्यकता पड़ने पर जमींदार के कर्मचारियों को भी सबक सिखाया।

उपसंहार

बिहार में बकाश्त आंदोलन एक ऐसा किसान आंदोलन था, जो जमींदारों द्वारा किसानों से ज़मीनें बलात् छीनने के खिलाफ था। यह आंदोलन 1936 से 1939 के बीच उत्तरी और मध्य बिहार में सक्रिय रहा। इस आंदोलन के माध्यम से किसानों ने अपनी रैयती ज़मीनें पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। एक उपनिवेशी शोषण तंत्र के रूप में, ज़मींदारी प्रणाली किसानों के उत्पीड़न पर आधारित थी। महान मंदी के कारण उत्पन्न संकट, जो भारत में ब्रिटिश वित्तीय नीति द्वारा बढ़ाया गया, 1930 के दशक में कृषि कीमतों में तेज गिरावट का कारण बना। संकट के बावजूद, ब्रिटिश सरकार ने राजस्व मांगों में कमी लाने से इनकार कर दिया। इस स्थिति के परिणामस्वरूप, ज़मींदारों ने बकाया राशि के न चुकाने के कारण किरायेदारों को उनकी भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया, जिससे वे वर्षों से जो भूमि जुताई कर रहे थे, उस पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित हो गए। इससे किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ, जो आंदोलन के रूप में उभरा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा की अपील पर, बड़ी संख्या में किसानों ने ज़मींदारों और ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं।

बकश्त भूमि आंदोलन ने कुछ हद तक किरायेदारी अधिकारों को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। अंततः, ज़मींदारों ने किरायेदारों के साथ बकश्त भूमि के निपटारे पर सहमति व्यक्त की।

संदर्भ सूची :

1. सरस्वती, स्वामी सहजानंद. मेरा जीवन संघर्ष. सम्पादक–अवधेश प्रधान, ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, परिवर्धित संस्करण 2000, पृ0 96
2. प्रधान, अवधेश. स्वामी सहजानंद और उनका किसान आन्दोलन. नई किताब, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2011, पृ0 15
3. सरस्वती, स्वामी सहजानंद. मेरा जीवन संघर्ष. वही, पृ0 182
4. शशिधर, रामाज्ञा. किसान आंदोलन की साहित्यिक जमीन. अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद, 2012, पृ0 23
5. प्रधान, अवधेश. स्वामी सहजानंद और उनका किसान आन्दोलन. वही, पृ0 18
6. भट्टाचार्य, सब्यसाची. आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास 1850–1947. अनुवादक–डॉ0 माहेश्वर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, बारहवाँ संस्करण 2015, पृ0 48
7. शर्मा, राघव शरण. स्वामी सहजानंद सरस्वती. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2004, पृ0 75
8. चन्द्र, बिपिन. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष. हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 28वां पुनर्मुद्रण 2008, पृ0 252
9. प्रसाद, राजेन्द्र. आत्मकथा. सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 2013, पृ0 682

10 प्रधान, अवधेश. स्वामी सहजानंद और उनका किसान आन्दोलन. वही, पृ0 19
11 चन्द्र, बिपिन. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष. वही, पृ0 282
12 शर्मा, कार्यानंद. सुधाकर त्रिवेणी शर्मा. महान जीवन लघु परिचय. पृ0 4
13 सरस्वती, स्वामी सहजानंद. किसान सभा के संस्मरण. पृ0 511
14 सरस्वती, स्वामी सहजानंद. मेरा जीवन संघर्ष. वही, पृ0 274
15 शर्मा, कार्यानंद. सुधाकर त्रिवेणी शर्मा. महान जीवन लघु परिचय. पृ0 7